

का मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा। किन्तु एक ही शहर या विभिन्न शहरों में विकास के सूचकांक (Development Index) के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित ऐसी परियोजनाओं में पृथक-पृथक कीमतें तय करने के लिए निम्न बिन्दुओं का भी विभाग द्वारा ध्यान रखा जाएगा :-

- (अ) परियोजना का स्थान (कौन सा नगर है, नगर के मध्य में है या शहर के बाहरी क्षेत्र में)
- (ब) परियोजना स्थल से विभिन्न सुविधाओं की दूरी जैसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड इत्यादि।

3.17 आवंटियों से आवास का निर्धारित मूल्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय-सारणी विभाग द्वारा तय की जाएगी। उक्त समय-सारणी के अनुसार राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आवंटन निरस्त करने एवं आवास अन्य योग्य आवंटी को दिया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में संबंधित आवंटी द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि राजसात कर ली जाएगी।

3.18 ऐसे आवंटित आवासों को आवंटन दिनांक से 10 साल तक आवंटी अन्यत्र हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। पट्टाधारी की मृत्यु होने पर पट्टे का उसके वारिसों के पक्ष में अन्तरण अनुमत होगा।

3.19-दस (10) वर्ष के पश्चात् अगर मूल आवंटी किसी अन्य को आवास का पट्टा अन्तरित करने का आवेदन देता है तो भवन के तत्समय के क्लेटकर गाईड लाईन के आधार पर बाजार मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क प्राप्त कर निकाय उसे ऐसे व्यक्ति को अन्तरित करने

की अनुमति दे सकेगा। ऐसे अन्तरण पर पंजीयन के अनुसार आवश्यक होगा तो आवश्यक पंजीयन शुल्क का दायित्व संबंधित आवंटी का होगा।

3.20 अगर कोई पट्टाधारी पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे सुनवाई का अवसर देकर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। पट्टा निरस्त होने पर भूखण्ड एवं भवन का स्वामित्व निकाय का हो जाएगा तथा नगरीय निकाय/स्थानीय निकाय अन्य योग्य आवंटी को भवन आवंटित करने की कार्यवाही कर सकेगा। ऐसे पुनः आवंटन करते समय भवन के मूल्य का निर्धारण मूल आवंटन हेतु निर्धारित मूल्य में 5 (पांच) प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से राशि जोड़ते हुए निर्धारित की जाएगी।

3.21-नगरीय निकाय/स्थानीय निकाय ऐसी प्रत्येक परियोजना हेतु भवनों के व्ययन, हस्तांतरण एवं अन्य प्राप्त आकस्मिक राशियों को एक कोष में जमा करेगा। उक्त कोष का उपयोग नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार निकाय द्वारा किया जाएगा।

3.22-नगरीय निकाय/स्थानीय निकाय परियोजना के अनुसार समुचित आवासों एवं अधोसंरचना की गुणवत्ता के लिए अपना पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकेगा। अगर चयनित विकासकर्ता तथा निकाय के मध्य इस विषय पर कोई मतभेद होता है तो उसका निराकरण विभाग द्वारा किया जाएगा।

3.23-निविदाओं की अंतिम स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार प्राधिकरण को होगा।